

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

गंदगी करने पर 4 दुकानें 24 घन्टे के लिये सील
मास्क नहीं लगाने पर 17 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 24 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार
पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में
कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर
लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके
तहत 24 जनवरी को 4 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील
कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर अशोक कुमार
चांदनी चौक पर 3000ए आनन्द श्री महू रोड पर 1500ए राम मोहन सज्जन मिल रोड
व धर्मन्द्र बरबड़ रोड पर 1000.1000 रूपये का जुर्माना कर 24 घन्टे के लिए दुकाने
सील की गई। इसके अलावा गायत्री टॉकिज क्षेत्र में गंदगी करने पर धर्मन्द्र पर 500
रूपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 17 व्यक्तियों पर 100.100
रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने
वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री
एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए
श्री किरण चौहान मोणनंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोणनंण 8770535145ए श्री
विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोणनंण 7000128812ए
आकाष षिन्दे मोणनंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोणनंण 6268449110ए

राकेश ललावत मोप्लनं 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पशु वध करनाए मटन विक्रय प्रतिबंधित रतलाम 24 जनवरी । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौषत विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौषत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी

72 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम 24 जनवरी । अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न वार्डों में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 72ए665ए की राशि वसूली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 19ए430ए वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 19ए455ए वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 18ए330ए व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 15ए450ए इस तरह कुल राशि रूपये 72ए665ए की बकाया राशि वसूली।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैय्यालाल चौधरीए केमिस्ट श्री नीरज यादव व श्री जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 5 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 24 जनवरी । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 5 सफाई मित्रो द्वारा 24 जनवरी रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 24 जनवरी रविवार को महेन्द्र.अशोकए संजय. पवनए रोहित.अमृतलालए राहूल.राजकपूर व पंकज.फिरोज द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 53०01 लाख व जलकर 11०24 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 24 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकरण दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822ए. व जलकर 54ए850ए.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575ए. व जलकर 34ए520ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ए. व जलकर 63ए450ए.ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ए. व जलकर 1ए19ए720ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ए. व जलकर 62ए950ए.ए तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ए. व जलकर 28ए870ए.ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ए. व जलकर 14ए000ए.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ए. व जलकर 1ए04ए640ए.ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ए. व जलकर 1ए21ए090ए.ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ए. व जलकर 47ए000ए.ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ए. व जलकर 83ए700ए.ए हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ए. व जलकर 27ए540ए.ए कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ए. व जलकर 40ए240ए.ए राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ए. व जलकर 31ए760ए.ए काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ए. व जलकर 72ए440ए.ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534ए. व जलकर 37ए465ए.ए कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए732ए. व जलकर 36ए660ए.ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए. व जलकर 92ए125ए.ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 3ए71ए048ए. व जलकर 30ए010ए. की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को

लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 24 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हें अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना

आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500₹. प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8400 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 24 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राश्ट्रीय विधवा पेंशनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःषक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 24 जनवरी सोमवार तक 8400 पंेशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 84 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

24 जनवरी को 76 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 24 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा

रहा है जिसके तहत 24 जनवरी सोमवार को 76 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

24 जनवरी सोमवार को डम्पर से 23130ए टे^a कटर से 12510ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 17265 व काम्पेक्टर गीला कचरा 24010 इस तरह कुल 76915 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 24 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 24 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 24 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए

गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारऽजसंविण्हेमन्तऽ24ण01ण2022ऽनणपाणनिगमए रतलामण